



भारत में वामपंथी उग्रवाद

प्रलम्बित के लिये:

[वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015, कशोर न्याय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधिनियम, 2015](#), समाधान पहल

मेन्स के लिये:

भारत में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक घोषणा में गृह मंत्रालय ने खुलासा किया कि वर्ष 2022 से भारत [वामपंथी उग्रवादियों](#) से संबंधित घटनाओं का अलग डेटा बना रहा है।

- वामपंथी उग्रवाद कई दशकों से भारत में एक गंभीर सुरक्षा चुनौती रहा है, विशेषकर नागरिक अशांति और सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित क्षेत्रों में।


वामपंथी उग्रवाद:

परिचय:

- वामपंथी उग्रवाद, जिसे वामपंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों को संदर्भित करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की वकालत करते हैं।
 - वामपंथी उग्रवादी समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या नज्दी संपत्ति को नशाना बनाते हैं।
 - भारत में वामपंथी उग्रवाद आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के [नक्सलबाड़ी](#) में हुए विद्रोह से हुई थी।
- ### भारत में स्थिति:
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिसा में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में 76% की कमी आई है।
 - इसके अतिरिक्त हिसा के भौगोलिक प्रसार में भी कमी आई है क्योंकि वर्ष 2010 में 96 जिलों की तुलना में वर्ष 2021 में केवल 46 जिलों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिसा की सूचना मिली है।

A map of India's Maoist conflict

A crackdown on Maoist rebels has led to a rise in the number of casualties in the country's tribal areas. Here are the regions that are most affected.



- वामपंथी उग्रवाद के लिये ज़िम्मेदार कारक: वर्ष 2006 की डी. बंदोपाध्याय समिति ने नक्सलवाद के प्रसार के प्राथमिक कारणों के रूप में आर्थिक, सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदवासियों के वरिद्ध शासन संबंधी अंतराल एवं व्यापक भेदभाव की पहचान की।
 - सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: भारत में अत्यधिक सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ हैं, जहाँ आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी में रहता है तथा बेरोज़गारी एवं बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच की कमी जैसे मुद्दों का सामना करता है।
 - वामपंथी चरमपंथी समूहों ने ऐतिहासिक रूप से इन शकियतों का लाभ उठाया है और उनका उपयोग हाशिये पर रहने वाले समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिये किया है।
 - भूमि अलगाव और वसिस्थापन: भूमि अधिकार और भूमि हस्तांतरण का मुद्दा भारत में कई ग्रामीण समुदायों के लिये एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है।
 - विकास परियोजनाओं और औद्योगिक उद्देश्यों के लिये भूमि अधिग्रहण के कारण कभी-कभी पर्याप्त मुआवज़े या पुनर्वास के बिना स्थानीय समुदायों का वसिस्थापन होता है।
 - यह नक्सली आंदोलन का केंद्र बंदु रहा है।
 - आदवासी अधिकार: भारत बड़ी संख्या में आदवासियों नवास करते हैं, जो अपनी विशिष्ट संस्कृतियों और परंपराओं के साथ स्वदेशी समुदाय हैं।
 - वामपंथी उग्रवादी समूह अक्सर आदवासी अधिकारों की वकालत करते हैं और उनके संसाधनों के कथित शोषण एवं उनकी पैतृक भूमि से वसिस्थापन का वरोध करते हैं।
- सरकारी पहल:
 - 'वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015': इस योजना में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया जिसमें शासन, सुरक्षा और विकास के विभिन्न पहलू शामिल थे।
 - इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से निपटने और इसके प्रसार को रोकने के लिये सुरक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि करना है।
 - यह स्थानीय समुदायों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है ताकि चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले समर्थनों को कम किया जा सके।
 - यह उग्रवाद के मूल कारणों को दूर करने और स्थानीय समुदायों के जीवन में सुधार लाने के लिये प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

- **कशिोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** वर्ष 2015 में अधिनियमिति कशिोर न्याय अधिनियम, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावति बच्चों, वशिष रूप से संकटग्रस्त परस्थितिधियों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है, जनिमें शामिल हैं:
 - **कानून के साथ संघर्ष में बच्चे (CCL):** वामपंथी उग्रवाद से संबंधति अवैध गतिविधियों में शामिल बच्चों को इस अधिनियम के माध्यम से देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाती है ।
 - **देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे (CNCP):** जो बच्चे सशस्त्र संघर्षों, नागरिक अशांतिया प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ति या प्रभावति हैं, उन्हें इस अधिनियम के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में पहचाना जाता है ।
 - **आपराधिक अभियोजन:** अधिनियम यह स्पष्ट करता है ककिसी भी गैर-राज्य, स्वयंभू आतंकवादी समूह या संगठन द्वारा कसिी भी उद्देश्य के लिये बच्चों की भरती या उपयोग करने पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा ।
- **समाधान (SAMADHAN):** यह वामपंथी उग्रवाद की समस्या का वन-स्टॉप समाधान है । इसमें वभिन्न स्तरों पर बनाई गई अल्पकालिक नीतियों से लेकर दीर्घकालिक नीतितक सरकार की संपूर्ण रणनीति शामिल है । समाधान का अर्थ है-
 - S- स्मार्ट लीडरशिप,
 - A- आकरामक रणनीति,
 - M- प्रेरणा और प्रशिक्षण,
 - A- कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता,
 - D- डैशबोर्ड आधारति KPI (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) और KRA (मुख्य परणाम क्षेत्तर),
 - H- प्रौद्योगिकी का उपयोग,
 - A- प्रत्येक थिएटर के लिये कार्य योजना,
 - N- वतितपोषण तक पहुँच नहीं ।

आगे की राह

- **सामुदायिक जुड़ाव और संवाद:** सरकार, सुरक्षा बलों और प्रभावति समुदायों के बीच संचार के खुले चैनलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।
 - साथ ही, सामुदायिक नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थानों को संघर्षों में मध्यस्थता करने तथा स्थानीय मुद्दों को संबोधति करने में भूमिका नभाने के लिये प्रोत्साहति करने की आवश्यकता है ।
- **युवा उद्यमति और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन:** युवाओं को अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता को व्यावसायिक उद्यमों में लगाने के लिये प्रोत्साहति करने हेतु प्रभावति क्षेत्रों में उद्यमति तथा स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापति करना ।
 - यह आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के लिये एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकता है ।
- **पारस्थितिक और सतत् विकास योजना:** ऐसी परियोजनाएँ शुरू करना जो उग्रवाद से प्रभावति क्षेत्रों में सतत् विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रति करें ।
 - पर्यावरण संरक्षण पर्यासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करके स्वामति और ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है, जसिसे उग्रवाद कम हो सकता है ।
- **स्थानीय शांतिदूतों को सशक्त बनाना:** समुदायों के भीतर प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें सशक्त बनाना जोशांतिको बढ़ावा देने और चरमपंथी वचारों का मुकाबला करने के लिये प्रतबिद्ध हैं ।
 - उन्हें सद्भाव और समझ के संदेश फैलाने के लिये संसाधन और सहायता प्रदान करना ।
- **सामाजिक प्रभाव बॉण्ड:** उग्रवाद का मुकाबला करने पर केंद्रति सामाजिक पहलों में नजिी नविश को आकर्षति करने के लिये सामाजिक प्रभाव बॉण्ड की शुरुआत करना ।
 - नविशकों को इन योजनाओं की सफलता के आधार पर रटिर्न प्राप्त होगा, जसिसे प्रभावशाली कार्यक्रमों के लिये प्रोत्साहन मल्लिगा ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. पछिड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परणाम जनजातीय जनता और कसिानों, जनिको अनेक वस्थिपनों का सामना करना पड़ता है, का वलिनन (अलग करना) है । मलकानगरि एवं नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रति करते हुए वामपंथी उग्रवादी वचारधारा से प्रभावति नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फरि से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजति । (2015)

स्रोत : पी.आई.बी.